न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2023 प्रा0 पत्र	01.02.2023	28.05.2025

उनवान

1. ऊंकार उर्फ ओंकार शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी— नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री काना पुत्र श्री नाथू सुथार निवासी नौगांवा तहसील एव जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम—
   1/1 — बादाम पत्नी स्व० काना सुथार निवासी नौगांवा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
   1/2 — जगदीश पुत्र स्व० काना सुथार निवासी— नौगांवा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/3 — सांवरी पुत्री स्व० श्री काना सुथार पत्नी श्री रतन सुथार निवासी— खातीखेड़ा, पहुना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
   1/4 — बीमा पुत्री स्व० श्री काना सुथार पत्नी श्री घनश्याम सुथार निवासी दांता लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. किशन पुत्र श्री नन्दा सुथार निवासी नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. जम्मू पुत्री श्री उदा सुधार निवासी— नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. प्यारी पत्नी श्री उदा सुथार निवासी नौगांवा तह. एंव जिला भीलवाड़ा (राज०) — **डिलिट**
5. प्रेम पत्नी स्व० श्री नन्दा सुथार निवासी नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. रतन पुत्र नन्दा सुथार, निवासी नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. रामु पुत्री उदा सुथार, निवासी नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. रामेश्वर पुत्र श्री मांगू सुथार, निवासी नौगांवा तह0 एंव जिला भीलवाड़ा
9. लाडू पत्नी स्व0 मांगू सुथार, निवासी नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा — **डिलिट**
10. लादू पुत्र नन्दा सुथार, निवासी नौगांवा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री उदयसिंह चारण, उपस्थित।

2—विपक्षी संख्या 01 से 03 व 05 से 08 व 10 की और से श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित।

3— विपक्षी संख्या 11 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: **निर्णय** ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ़, भू0अ0नि0 क्षैत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्ब: 767/1 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 768/1 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 769 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि नौगांवा से देवली कच्ची रोड से होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 744 रकबा 0.7840 हैक्टेयर से होकर अपनी आराजियात मे आते जाते है जिससे प्रार्थी अपनी बैल गाडी, संज, ट्रेक्टर ट्रोली अपने पूर्वजो के समय से ही लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा इसके पश्चात् एक 251–ए आर.टि.एक्ट का एक प्रार्थनापत्र न्यायालय आप के समक्ष पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 391/2015 राजस्व प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसमे दिनांक 11/07/2016 को एक आदेश पारित हुआ, जिसमे आराजी नम्बर 797, 799, 800 एवं 770 से होकर रास्ते हेतु दिनांक 11/07/2016 को विपक्षीगण की आपसी सहमति पर प्रशासन गांवो के संघ केम्प भोपालगढ़ गाडरमाला में आदेशित निर्णय में प्रार्थी को रास्ता दिया जाने का आदेश दिया गया कि अगर प्रार्थी जमीन के बदले जमीन देना तय रखता है तो प्रार्थी को आराजी नम्बर 797, 799, 800, 770 में से रास्ता दिया जा सकता है। परन्तु वास्तविक स्थिति में आराजी संख्या 797 जो कि वर्तमान में गोपाल पुत्र श्री देबी लाल जाट के नाम पर दर्ज है, की जमीन मुझ प्रार्थी की जमीन के कही पर भी सटमा जमीन कही पर भी सटमा जमीन नहीं है। इसलिए प्रार्थी आराजी नम्बर 797 मे से 04 बिस्वा जमीन को तोडकर अपनी जमीन मे से नहीं दे सकता, जिसके लिए एक रिव्यू पिटीशन संख्या 166/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसको प्रार्थी के कहने पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त रिव्यू पिटीशन को नोटप्रेस करवा उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन विपक्षीगण तैयार नहीं है व दिनाक 15/12/2022 को साफ तौर इंकार कर दिया। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करे। उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थी ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 767/1 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 768/1 रकबा 0.2655 हैक्टयर, आराजी नम्बर 769 रकबा 0.0506 हैक्टयर मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि नौगांवा से देवली कच्ची रोड से होते हुए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 744 रकबा 0.7840 हैक्टेयर से होकर आता जाता, को रास्ता से 20 फीट चौडाई मे नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है व विकल्प में निवेदन है कि प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने को भी तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षी संख्या 01 से 03 व 05 से 08 व 10 की और से श्री पृथ्वीराज चौधरी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी को अपनी आराजियात पर आने जाने हेतु सबसे सुगम एंव छोटा रास्ता गे.मु आराजियात संख्या 772 से होकर आराजियात नम्बर 798, 799, 800, 801, 770 की पश्चिम मेड के सहारे आ जा सकता है एवं प्रार्थी पूर्वजो के समय से ही इसी रास्ते से आते जाते है इसके अलावा आम रास्ते से होकर आराजियात संख्या 751, 752, 753, 754, 755 की उत्तरी मेड के सहारे अपने खेतो पर आया जा सकता है। उक्त दोनो रास्ते छोटे एंव लघुतम है, विपक्षीगण जवाबदाता की आराजियात संख्या 744 में कभी रास्ता नही था व आराजियात नम्बर 744 के रास्ता दोनो रास्तो से काफी लम्बा पडता है। प्रकरण संख्या 391/2015 से जो रास्ता मांगा गया था, उसी रास्ते से प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से अपनी आराजी पर आते जाते है व लघुतम रास्ता भी यही है मौका पर्चा मौका रिपोर्ट में भी इसी रास्ते का बताया परन्तु केवल मात्र यह कहकर कि जमीन के बदले जमीन चाहिए व जमीन सटमा नहीं होने से उक्त रास्ता नहीं लेकर अन्य आराजियात से लेना चाहते हो यह कानूनन गलत है, धारा 251 में मुआवजा स्वरूप जमीन के बदले जमीन का प्रोविजन कही नही है। प्रार्थी ने अपनी आराजियात पर आने जाने हेतु प्रकरण संख्या संख्या 391/2015 में आदेशित रास्ता रिव्यू पीटीशन संख्या 166/2022 की कलम संख्या 02 में वर्णित तथ्यो से पाबन्द है, प्रार्थी द्वारा उक्त दोनो प्रकरण को छोड दिया है, अब कानूनन नया वाद आदेश 2 नियम 02, आदेश 23 नियम 01 व आदेश 07 नियम 11 जा.दी0 के तहत पोषनीय नही होने से खारिज होने योग्य हैं। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाते हुये जवाब में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये नियम 69 राज0 काश्तकारी अधिनियम की पालना करते हुये नए सिरे से मौका पर्चा पक्षकारों की मौजूदगी में मंगवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 334 दिनांक 30.06.2023 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 769, 768/1, 767/1 में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। अप्रार्थीगण रास्तें की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजी में से भूमि नहीं चाहते है। अप्रार्थीगण को सूचित किया गया रास्ता देने से मना किया व सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किया रास्ते हेतु कुल भूमि जो कि 12 फीट चौडाई से कुल भूमि आराजी नम्बर 744 में से रकबा 0.0948 हैक्टेयर बनती है। मौका पर्चा संलग्न है। प्रकरण में आराजी नम्बर 744 में से रास्तें का क्षेत्रफल रकबा 0.0948 हैक्टेयर बनता है। लम्बाई 851 फीट व चौडाई 12 फीट है। डी0एल0सी0 दर 162807 /– रूपये प्रति हैक्टैयर है दुगुना करने पर 30,868 /– रूपये बनती है। डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा0दी0 दिनांक 22.11.2024 को प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 काना सुथार का दिनांक 30.09.2024 को देहान्त हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान क्रमशः बादाम पत्नी काना सुथार, जगदीश पुत्र काना सुथार, सांवरी पुत्री काना सुथार, बीमा पुत्री काना सुथार है। उपरोक्त वारिसान के अलावा विपक्षी संख्या 01 के अन्य कोई वारिस व उत्तराधिकारी नहीं है। मृतक के विधिक वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र की एक प्रति विपक्षी अधिवक्ता को दी गई। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।

श्री उंकार पिता भवंर लाल ब्राहम्ण निवासी नौगांवा ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर0टी0ए0 का दिनांक 11.07.2016 को श्री नारू, कालु पिता मांगु जाट व गोपाल पिता नारू जाट एवं देवी पिता मांगु जाट निवासी नौगांवा के विरूद्ध प्रस्तुत कर प्रार्थी की खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 768/1 में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 798, 799, 800, 801, 770, 770/1 में से रास्तें कायमी हेतु भूमि का आदेश प्रदान कराने की प्रार्थना की है। इस प्रकरण में सुनवाई की जाकर दिनांक 11.07.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजी नम्बर 768/1 में आने जाने हेतु ग्राम नौगांवा की आराजी नम्बर 770 व 799, 800, 797 में से 12 फीट का रास्ता विपक्षी की उक्त आराजी में से स्वीकृत किया गया। इस निर्णय में दिनांक 24.01.2018 को आराजियात में संशोधन भी किया गया।

प्रार्थी के प्रकरण संख्या 391/2015 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2018 के सम्बन्ध में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 व धारा 151 जा0दी0 बाबत् पुनारावलोकन निर्णय के सम्बन्ध दिनांक 16.02.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 07.04.2022 को दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई। प्रार्थी की और से इस प्रकरण को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.11.2022 को नोट प्रेस करने से खारिज कर दिया गया।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर0टी0ए0 का दिनांक 23.12.2022 को विपक्षीगण काना पुत्र नाथु सुथार, किशन पुत्र नन्दा सुथार, जमु पुत्री उदा सुथार, प्यारी पत्नी उदा सुथार, प्रेम पत्नी नन्दा सुथार, रतन पुत्र नन्दा सुथार, रामु पुत्री नन्दा सुथार, रामेश्वर पुत्र मांगु सुथार, लाडु पत्नी मांगु सुथार, लादु पुत्र मांगु सुथार निवासी नौगावां के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम नौगांवा की आराजी नम्बर 767/1, 768/1, 769 में कृषि कार्य हेतु आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 744 में से रास्तें हेतु 20 फीट चौडाई में रास्ता कायमी हेतु आदेश प्रदान कराने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी ने पूर्व में जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दिनांक 11.07.2016 को प्रस्तुत किया उसमें प्रार्थी ने अपनी आराजी नम्बर 768/1 में आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए में प्रार्थी ने अपने आराजी नम्बर 767/1, 768/1, 769 में आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। पूर्व में जो प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2016 में प्रस्तुत किया उसमें विपक्षीगण नारू पिता मांगु जाट, कालू पिता मांगु जाट, गोपाल पिता नारू जाट, देवी पिता मांगु जाट की भूमि में से रास्ता हेतु भूमि चाही गई जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 में विपक्षी काना पुत्र नाथु सुथार वगैरहा की भूमि में से रास्तें हेतु भूमि चाही गई। इस प्रकार प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2016 एवं दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भिन्नता है। जिससे विपक्षीगण द्वारा जो नया वाद आदेश 02 नियम 02 व आदेश 23 नियम 01 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर आक्षेप किया गया विधि सम्मत् नहीं होने से विपक्षी के आक्षेप दिनांक 22.10.2024 को खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षी ने अपने आक्षेप दिनांक 22.10.2024 में यह अंकित किया है कि धारा 251 में मुआवजा स्वरूप जमीन के बदले जमीन का प्रोविजन कही नहीं है। विपक्षी के इस बिन्दु के खण्डन में प्रार्थी ने धारा 251ए में संशोधन दिनांक 05.09.2023 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अभिलिखित किया है कि प्रतिकर के संदाय की ऐवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षैत्र का अन्तरण किये जाने पर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0ए0 का तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 334 दिनांक 30.06.2023 स्वीकार योग्य ठहरता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम नौगावां प०ह० भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 769, 768/1, 767/1 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01/1 से लगायत 1/4 व 02, 03, 05 से लगायत 08 व 10 की आराजी नम्बर 744 रकबा 0.7840 हैक्टैयर में से लम्बाई 851 फीट व चौडाई 12 फीट चौडाई से 0.0948 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी.दर राशि– 1,62,807 /– रूपये की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 30,868 /– रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 01/1 से लगायत 1/4 व 02, 03, 05 से लगायत 08 व 10 को देय है को जरिये प्रार्थी द्व विपक्षी संख्या 01/1 से लगायत 1/4 व 02, 03, 05 से लगायत 08 व 10 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा